न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
गुडामालानी–बाडमेर

...ाकंवर बनाम पवनकवंर

प्रा0पत्रसं0 163/2025

...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **आदेशिका** (अन्तर्गत धारा–212 आर0टी0एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
18.06.2025	विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 आर0टी0एक्ट–1955 का प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल **खसरा संख्या 504/31/0.8094 है0,** वाके ग्राम नया नगर पटवार नगर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में स्थित है। उक्त आराजी उभय पक्षकारान की पैतृक खातेदारी आराजी है। उक्त पैतृक खातेदारी आराजी में प्रार्थी ने हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद न्यायालय में पेश किया है। **अप्रार्थीगण उक्त मुतनाजा आराजी का बैचान करने पर आमादा है।** अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं वर्षो से उपजाउ बनाई भूमि व कब्जा काश्त की भूमि का बैचान करने में कामयाब होता है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को प्रार्थी के घोषणा के दावें के निस्तारण तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जावे। प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की अंतरिम बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को मात्र दौहराया हुऐ प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। तत्पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार उक्त आराजी उभय पक्षकारान की पैतृक खातेदारी आराजी प्रतीत होती है। उक्त पैतृक खातेदारी आराजी में प्रार्थी ने हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के तहत अपने पिता के नाम दर्ज आराजी को पैतृक आराजी बताते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद न्यायालय में पेश किया है। इस प्रकार प्रकरण में न्यायालय विचारण योग्य प्रकरण उपस्थित होना प्रतीत होता है। साथ ही यदि **अप्रार्थीगण उक्त मुतनाजा आराजी का बैचान करता है** तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है। इस प्रकार की स्थिति में अप्रार्थी को उक्त आराजी के बैचान से रोकने से अप्रार्थी को हुई क्षति, की तुलना में अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के बैचान से प्रार्थी को हुई क्षति अधिक प्रतीत होने के कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में झुकाव रखता हुआ प्रतीत होता है। साथ ही न्यायालय अप्रार्थी को उक्त आराजी के बैचान से रोकने हेतु एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु अत्यावश्यक परिस्थितियों उत्पन्न होना पाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ–पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात् पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने तक प्रार्थी के हिस्से की सीमा तक पैतृक आराजी **खसरा संख्या 504/31/0.8094 है0,** वाके ग्राम नया नगर पटवार नगर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर पर जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि *अप्रार्थीगण मुतनाजा आराजी पर जवाब प्रस्तुत करने तक प्रार्थी के हिस्सें तक* ***रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।*** अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो कि क्यों नही उक्त अंतरिम आदेश को ताफैसल करते हुऐ अस्थाई निषेधाज्ञा पुष्ट की जावें एवं इस संबंध में कोई उज्र–एतराज हो तो दिनांक 07.07.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी	

प्रतिलिपिः– तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुडामालानी को स्थगन आदेश की पालना हेतु प्रेषित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:53:11 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम-गुड़ामालानी

चन्द्रा	बनाम	पवन कवर	
सीसीएमएस संख्या	2025/429	किस्म मुकदमा	212

तारीख हुक्म	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पायती
18/06/25	पत्रावली आज दर्ज रजिस्टर हुई वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर रसीदें मय ट्रैक पेश वास्ते पत्रावली दिनांक 07/07/25 को पेश हो। [signature]	
07/07/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं. 02 की ओर से वकील श्री हरीश चन्द्र चौधरी व भागाराम द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। ट्रैक रिपोर्ट अप्राप्त इंतजार लेकर पत्रावली दिनांक 24/07/25 को पेश हो। [signature]	डाक द्वारा नोटिस 470 09/07/2025
24/07/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं. 01 के पूर्व अधिवक्ता के No objection के साथ अप्रार्थी सं. 1 की ओर से Adv धर्मसिंह जाटी द्वारा वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी दिनांक 14/08/25 को पेश हो। [signature]	
14/08/25	पत्रावली आज पेश हुई वकील उभय पक्ष- कारान उप०। वकील अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 151 CPC [illegible] निरस्त करने एकपक्षीय स्थगन [illegible] पेश। [illegible] वकील प्रार्थी [illegible] जवाब वास्ते ने कॉपी प्राप्त की। [illegible] प्रार्थना पत्र प्रार्थी वकील दिनांक 28/08/25 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 14:53:11 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम-गुड़ामालानी

चन्द्राकंवर	बनाम	पवन कंवर
जीसीएमएस संख्या 2025/429		किस्म मुकदमा 212

तारीख हुक्म	हुक्म/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
22/8/25	पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्षकारान पत्रावली पर बहस अहदना चाहते। अहदना पत्रावली दिनांक 04/09/25 को पेश होवे। [signature]	
04.09.25	पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी सं० 01 स्वयं उपस्थित। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी सं० 01 के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं होने के संबंध में प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी सं० 01 द्वारा राजीनामा बाबत वाद विड्रो कर आवेदन विड्रावल वापिस लिये जाने का पेश किया गया है। मूल वाद जरिये विड्रो खारिज किया जा चुका होने से हस्तगत आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहने से हस्तगत आवेदन भी जरिये विड्रावल खारिज किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा ... तामील की जाती है। पत्रावली ... नतीजा ... बाद दाखिल दफ्तर हो। [signature]	चन्द्रा कंवर पवन कंवर [signature] Adv 04.9.25

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:53:11 IST
Reason: SelfAttested